भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 921

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**महिलाओं के विरुद्ध अपराध् के लिए त्वरित न्यायालय**

**921. श्रीमती वंदना चव्हाण :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधें के लिए कुल कितने त्वरित न्यायालय (एफ॰टी॰सी॰) चल रहे हैं ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में ऐसे किसी त्वरित न्यायालय को बंद कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त न्यायालयों की प्रभावकारिता का आंकलन करने हेतु समय-समय पर निगरानी कराई है, यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं कि सभी राज्य सरकारें त्वरित न्यायालयों की स्थापना करें, तो उन उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :**  त्वरित निपटान न्यायालय (एसडीसी**)** का गठन और इनकी मानीटरी करना संबंध उच्च न्यायालयों के परामर्श से उनकी अपनी आवश्यकताओं और संसाधन के अनुसार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है । देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए परिचालित त्वरित निपटान न्यायालय की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय रुप में नहीं रखी जाती है । तथापि, उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में 722 त्वरित निपटान न्यायालय देश में परिचालन में है । (उपाबंध)

 ब्रज मोहन लाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के अपने निर्णय में 19.04.2012 को उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को निदेश दिया कि वे तदर्थ और अस्थाई आधार पर त्वरित निपटान न्यायालय जारी रखने का विनिश्चय नहीं लेंगे । उन्हें (राज्यों को) यह विनिश्चय करने की आवश्यकता होगी कि या तो त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम लाना समाप्त करें या राज्य स्थाई रुप से इसको जारी रखें ।

**(ग) और (घ) :** न्यायिक प्रणालियों में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए न्यायापालिका की सहायता करने के लिए संघ सरकार ने समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ बेहतर न्यायालय अवसंरचना अंर्तवर्लित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और अत्याधिक मुकदमेबाजी की संभावना वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय आरंभ करना तथा मानव संसाधन विकास पर बल देना भी है

भारत सरकार 4144 करोड़ की लागत से जघन्य अपराधों जिसमें महिला, बालक आदि अन्तवर्लित है, से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए 14वें वित्त आयोग के लिए अपने ज्ञापन के घटक के रुप में 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों को 4144 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित करने का प्रस्ताव किया था । 14वें वित्त आयोग ने संघ सरकार के प्रस्ताव का पृष्ठांकन किया और ऐसी अपेक्षाओं का पूरा करने लिए कर व्यागमन में आयोग द्वारा दिए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान के प्रयोग के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया।

 केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से 2015-16 के आगे अपने राज्य बजट से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए निधियों के आवंटन का आग्रह किया था । इसके अतिरिक्त इस मुद्दे पर 24 अप्रैल, 2016 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में भी चर्चा हुई जहां विद्यमान समन्वय और राज्य सरकारों तथा न्यायपालिका के मध्य 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभावी पालन के लिए मानीटरी यांत्रिकी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया । विधि और न्याय मंत्रालय ने राज्य के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के संकल्प जिसमें त्वरित निपटान न्यायालयों से संबंधित 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी है के पालन के लिए पत्र भी लिखे ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

उपाबंध

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए त्वरित निपटान न्यायालय संबंधी राज्य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 921 जिसका उत्‍तर 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में निर्दिष्‍ट विवरण

|  |  |
| --- | --- |
| **राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र का नाम** | **त्‍वरित निपटान न्‍यायालय की संख्‍या** |
| Andhra Pradeshआंध्र प्रदेश, तेलंगाना | **72** |
| असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरमTelangana | **0** |
| बिहारAssam | **55** |
| छत्तीसगढ़Arunachal Pradesh | **21** |
| दिल्लीMizoram | **14** |
| गोवाNagaland | **4** |
| गुजरातBihar | **0** |
| हरियाणाChhattisgarh | **0** |
| हिमाचल प्रदेशGujarat | **0** |
| Jammu & Kashmirजम्मू-कश्मीर | **0** |
| Jharkhandझारखंड | **14** |
| Karnatakaकर्नाटक | **0** |
| केरल | **0** |
| मध्य प्रदेशKerala, Lakshadweep | **0** |
| महाराष्ट्रMadhya Pradesh | **100** |
| मणिपुरMaharashtra, D&N, Daman & Diu | **3** |
| मेघालयGoa | **0** |
| ओडिसाManipur | **0** |
| पंजाबMeghalaya | **0** |
| पुडुचेरी Orissa | **0** |
| राजस्थानPunjab | **0** |
| सिक्किमChandigarh | **2** |
| तमिलनाडु, Haryana | **69** |
| Tripuraत्रिपुरा | **3** |
| Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश | **273** |
| Uttarakhandउत्तराखंड | **4** |
| पश्चिमी बंगाल | **88** |
| कुल | **722**  |